# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

## ( पीठासीन अधिकारीःसुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस. )

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 02/2022
प्रविष्टि दिनांक – 17.1.2022

**उनवान**

1. डॉ0 गोविन्द मिश्रा पुत्र स्व0 सियाराम मिश्रा जाति ब्राहमण, निवासी मिश्रा भन गांधी पा सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर राज.

–आवेदक/ वादी

**बनाम**

1. तहसीलदार निवाई, जिला टोंक
2. शकुन्तला राजोरिया पत्नी गिरीश राजोरिया कोम खटीक निवासी बी–56 साकेत कॉलोनी आदर्श नगर जयपुर राज.
3. आई आर बी जयपुर देवली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 टोल प्लाजा शिवदासपुरा जिला जयपुर राज0

विपक्षी

**उपस्थित**–श्री रामअवतार शर्मा–वकील वादी
पैरोकार सरकार–प्रतिवादी सं0 1

# निर्णय

## प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 112, 131, 133 व 136 भू–राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्त किये जाने शीट

दिनांक : 28/12/20

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे अंकित तथ्य संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 358/5 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गुन्सी तहसील निवाई मे स्थित है जिस पर प्रार्थी खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी की भूमि के सटवा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 की भूमि खसरा नंबर 383/3 है जिसमे से प्रार्थी अपनी भूमि पर आता जाता है। हाल राजस्व शीट मे प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के पूर्वी ओर खसरा नंबर 383/2 की तरमीम गलत कर दी हैजबकि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के सटवा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 की भूमि है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से त्रुटिवश खसर नंबर 383/2 जिसका रकबा 7 बिस्वा है को वर्तमान राजस्व शीट मे करीब 17 बिस्वा की गलत तरमीम कर दी है और प्रार्थी की भूमि के आगे खसरा नंबर 383/2 की भूमि प्रदर्शित कर रखा हैं जबकि खसरा नंबर 383/2 की भूमि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 358/5 के दक्षिणी मेर से पूर्व ही 7 बिस्वा भूमि हो जाती है। किन्तु उक्त भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 की भूमि खसरानंबर 383/3 की भूमि मे गलत तरमीम कर दी। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 की भूमि खसरा नंबर 383/3 का रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा है जिसे कम करते हुए मात्र 2 बीघा 3 बिस्वा कर रखा है जिसे दुरूस्त किया जावे। अतः प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 358/5 के सामने पूर्वी ओर खसरा नंबर 383/2 जिसकी शीट मे तरमीम करीब 17 बिस्वा कर रखी है, को कम कर जमाबंदी अनुसार उसकी तरमीम 7 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के दक्षिण मेर की भूमि से पूर्व तक तथा खसरा नंबर 383/रु रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा जिसे राजस्व शीट मे 2 बीघा 3 बिस्वा कर रखा है , को पश्चिमी बढाते हुए कुल 2 बीघा 13 बिस्वा की तरमीम प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के सामने तथा खसरा नंबर 383/2 के उत्तरी ओर की जाकर हाल राजस्व शीट को सही व दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2071–2074 आदि प्रस्तुत किये।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

प्रार्थी वादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि खसरा नंबर 383/2 रकबा 7 बिस्वा भूमि की खातेदार शकुन्तला राजोरिया पतनी गिरीश राजोरिया है तथा खसरा नंबर 383/3 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा गै.मु. सडक राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 के नाम दर्ज है। अतः दोनो खातेदारो को पक्षकार बनाया जावे।

उक्त प्रार्थनापत्र न्याय हित मे स्वीकार की जाकर, दोनो खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर रिकार्ड पर लिया गया एवं तलबी जारी की गई।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 358/5 प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान लटठा शीट मे खसरा नंबर 383/2 का रकबा 17 बिस्वा का बना हुआ है जबकि मुताबिक जमाबंदी के उक्त खसरा नंबर कर रकबा 7 बिस्वा है तथा खसरा नंबर 383/3 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 के नाम दर्ज है जो मुताबिक जमाबंदी के 2 .13 बीघा का है जबकि लटठा शीट मे 2.03 बीघा का बना हुआ है। प्रार्थी की भूमि नेशनल हाईवे के मध्य से लगभग 125 फिट की दूरी पर स्थित है जबकि लटठा शीट मे उक्त दूरी 90 फिट की है। वर्तमान लटठा शीट मे खसरा नंबर 388/2 एवं 383/3 की तरमीम जमाबंदी अनुसार नही होने के कारण तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पूर्व जमाबंदी संतव 2067–70 मे खसरा नंबर 382/2 का रकबा 3 बीघा खातेदार शकुन्तला राजोरिया पत्नी गिरीश राजोरिया के नाम दर्ज था जिसमे से नामान्तरकरण सं0 1582 दिनांक 2.4.2012 भूमि अवाप्ति से खसरा नंबर 382/3 रकबा 2.03 बीघा अवाप्त होकर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के नाम स्वीकार हो गया।

प्रतिवादी सं0 2 व 3 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध साक्ष्यो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 358/5 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के सटवा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 की भूमि खसरा नंबर 383/3 है राजस्व शीट मे खसरा नंबर 383/2 की त्रुटिवश गलत तरमीम कर रखी है। खसर नंबर 383/2 जिसका रकबा 7 बिस्वा है को वर्तमान राजस्व शीट मे करीब 17 बिस्वा की गलत तरमीम कर दी है और प्रार्थी की भूमि के आगे खसरा नंबर 383/2 की भूमि प्रदर्शित कर रखा हैं जबकि खसरा नंबर 383/2 की भूमि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 358/5 के दक्षिणी मेर से पूर्व ही 7 बिस्वा भूमि हो जाती है। इस तथ्य का परीक्षण करने पर पाया गया कि जमाबंदी अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 358/5 है जबकि पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब में खसरा नंबर 358/2 प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना अंकित किया गया है इस प्रकार जमाबंदी अनुसार पैरोकार की रिपोर्ट मे विराधोभाष कि कौनसा खसरा नंबर प्रार्थी की खातेदारी मे है। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 383 जो कि मूल नंबर है सडक परिवहन मे भूमि अवाप्ति के दौरान मूल नंबर के टुकडे हुए है, जिस तरह से उक्त खसरा नंबर 383/2 व 383/3 के टुकडे हुए है लेकिन पत्रावली पर उक्त मूल खसरा नंबर के टुकडे होने से पूर्व की नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी उपलब्ध नही है जिसके अभाव मे स्थिति स्पष्ट नही हो पा रही है मूल नंबर का कुल रकबा कितना था और पूर्व नक्श ट्रेस मे किस प्रकार प्रदर्शित था, यह साक्ष्य नही होने से तथ्य स्पष्ट नही हो पाये, जबकि अपने वाद पत्र को साबित करने का भार वादी पर था लेकिन साक्ष्य के अभाव मे वाद के वाद मे अंकित उक्त तथ्य साबित नही हो पाया है। पैरोकार सरकर की रिपोर्ट में एक ओर विरोधाभाष है कि जमाबंदी के खाता सं0 540 के अनुसार खसरा नंबर 383/3 गै.मु. सडक है और वाद पत्र मे खसरा नंबर 383/3 व 383/2 के संबंध मे विवाद है लेकिन पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार पूर्व जमाबंदी संवत 2067–70 मे खसरा नंबर 382/2 का रकबा 3 बीघा खातेदार शकुन्तला राजोरिया पत्नी गिरीश राजोरिया के नाम दर्ज था जिसमे से नामान्तरकरण सं0 1582 दिनांक 2.4.2012 भूमि अवाप्ति से खसरा नंबर 382/3 रकबा 2.03 बीघा अवाप्त होकर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के नाम स्वीकार हो होना अंकित है रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट विवादित खसरा नंबर 383/3 व 383/2 के संबंध मे नही होकर 382/2 के संबंध मे है। प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा भी जवाब प्रसतुत नही किया गया है और पैरोकार सरकार की रिपोर्ट भी अस्पष्ट है साथ ही पत्रावली पर वाद पत्र के तथ्यो को साबित करने वाले साक्ष्य उपलब्ध नही है। इस प्रकार साक्ष्य के अभाव एवं पैरोकार सरकार की अस्पष्ट रिपोर्ट के कारण वाद पत्र के तथ्य साबित नही होते है। अतः प्रकरण स्वीकार योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

# आदेश

फलतः वाद वादी दुरूस्ती इन्द्राज शीट बाबत भूमि खसरा नंबर 358/5 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई